झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग—02

25 फाल्गुन,1937 (श0)
निम्नलिखित अल्प—सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक————————————को
15 मार्च, 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश— पत्र पर अंकित रहेंगे :—

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
190.	अ0सू0—46	श्री राधाकृष्ण किशोर	जंगलों की अवैध कटाई पर रोक	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	09.03.2016
191	अ0सू0—43	श्री अमित कुमार	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	02.03.2016
192	अ0सू0—47	अरूप चटर्जी	लकड़ी की व्यवस्था	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	09.03.2016
193	अ0सू0—45	श्री प्रदीप यादव	दंडात्मक कार्रवाई करना	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	07.03.2016
194	अ0सू0—36	श्री प्रदीप यादव	अनियमितता की जांच	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य	25.02.2016
195	अ0सू0—44	श्री आलमगीर आलम	मदरसों को अनुदान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	03.03.2016

रांची
दिनांक—15 मार्च,2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–........2199........ / वि0स0, रांची, दिनांक– 14/03/16

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / मा0 मंत्रीगण / माननीय संसदीय कार्य मंत्री / माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–........2199........ / वि0स0, रांची, दिनांक– 14/03/16

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / अपर सचिव (प्रश्न) / संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04 / 2015–........2199........ / वि0स0, रांची, दिनांक– 14/03/16

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा / आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

12/03/16

बहादुर /

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–46 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में सिर्फ 2587 वर्ग कि0मी0 में घना जंगल तथा 9667 कि0मी0 में मध्यम घना जंगल है, जबकि देवघर, धनबाद और दुमका जिले में एक फिसदी भी घना जंगल नहीं है,	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के घने जंगलो में निरंतर हो रहे ह्रास के कारण पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो रहा है,	अस्वीकारात्मक । भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के घने जंगलों में ह्रास नहीं हुआ है, बल्कि वर्ष 2003 की तुलना में 44 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में घने जंगल की वृद्धि हुई है। पर्यावरण संतुलन प्रभावित होने का वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि जंगलो की अवैध कटाई रोकने तथा खुले जंगलों को मध्यम एवं घंने जंगल में परिवर्त्तित करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, हॉ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वनों में अवैध कटाई रोकने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है । राज्य में वृहत् पैमाने पर वन सुरक्षा, मृदा एवं जल संरक्षण एवं वनरोपण की योजनाएं लागू कर खुले एवं मध्यम वनों को घने वनों में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –68 / 2016– 1475 व0प0, राँची, दि०– 14/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2125 दिनांक–09.03.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/3/16

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

माननीय श्री अमित कुमार, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 15.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–43 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तर दाता**
श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा	**श्री अमर कुमार बाउरी,** माननीय मंत्री, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा मासिक किस्तों में कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है,	अस्वीकारात्मक। राज्य के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष मासिक खेल छात्रवृति के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि हरियाणा, दिल्ली राज्यों में झारखण्ड राज्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल के विजेताओं को सरकारी नौकरी दी गयी है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल के विजेताओं को खण्ड (2) में उल्लिखित राज्यों की तरह सरकारी नौकरी एवं मासिक किस्तों में प्रोत्साहन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सीधी नियुक्ति नियमावली में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। इस संशोधन के पश्चात् राज्य के खिलाड़ियों की लगभग सभी सेवाओं में व्यापक तौर पर सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मासिक छात्रवृति पूर्व से दी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–89/16/क०...239.../ रॉंची, दिनांक 14/03/2016

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप सं० 1939 दिनांक 02.03.16 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.3.16

संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, रांची।

D:\N.K.Pd. Director\Vidhan Sabha Question-ans.doc

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–47 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि हिन्दु धर्म के रीति–रिवाजानुसार मृत्युपोरान्त पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित दाह संस्कार कार्य हेतु राज्य में कही भी सरकारी रूप से लकड़ी उपलब्धता हेतु न कोई समुचित व्यवस्था है और न ही आरा मिल है जिसके परिणामस्वरूप इस रीत–रिवाज को सम्पन्न करने में आये दीन राज्यवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक । विभाग द्वारा राज्य में निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आरा मिल एवं लकड़ी डीपो संचालन हेतु अनुज्ञप्ति दी गई है। अनुज्ञप्ति धारी आरा मिल/डीपो राज्य में निजी भूमि तथा राज्य वन विकास निगम से लकड़ी प्राप्त करते हैं तथा आवश्कतानुसार राज्यवासियों को दाह संस्कार एवं अन्य उपयोग हेतु काष्ठ की आपूर्ति करते हैं।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कार्य हेतु लकड़ी की उपलब्धता प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर सरकारी डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –69/2016– 1473 व0प0, राँची, दि०– 14/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2130 दिनांक–09.03.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/3/16
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

193

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2016 को पूछे जानेवाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–45 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा एवं श्री नरेश चन्द्र मुण्डा द्वारा वनरोपण में सुन्दरी, चैनपुर, डाल्टनगंज प्रक्षेत्रों में फर्जी मास्टर रोल, फर्जी मजदूरों का नियोजन एवं जे0सी0बी0 मशीन से ट्रेंच खुदाई कर करोड़ो रूपये का बन्दरबांट किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक । वर्ष 2014–15 श्री अनिल कुमार मिश्रा, रा0व0से0, दिनांक–18.09.2014 से 27.07.2015 तक मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के प्रभार में थें। श्री नरेश चन्द्र मुण्डा, रा0व0से0, दिनांक–27.07.2015 से अद्यतन मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में पदस्थापित हैं। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के अंतर्गत सभी कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप कराये गये हैं।
(2) क्या यह बात भी सही है कि बांस गैबियन, लाह उत्पादन एवं कैम्पा योजना (चैनुपर एवं पाटन वन प्रक्षेत्र) में करोड़ों रूपये की वनरोपण का कार्य बिना कराये ही फर्जी लेखा महालेखाकार को भेज दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में चैनपुर–पाटन एवं अन्य सभी प्रक्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप कार्य कराये गए है। योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया गया है एवं समय–समय पर उसका अनुश्रवण वन संरक्षक, मेदिनीनगर एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर द्वारा किया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब उपर्युक्त घोटाले की उच्चस्तरीय जांच स्वतंत्र एजेन्सी से कराते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्पसूचित प्रश्न –61/2016– 1474 व0प0, राँची, दि0– 14/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2073 दिनांक–07.03.2016 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/3/16

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

अनियमितता की जाँच ।

उत्तर मुद्रित

194. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में पर्यटन विभाग में पर्यटन विकास के नाम पर घोर अनियमितताएं उजागर हुई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय निगरानी तकनीकी कोषांग ने भी लघु फिल्म के निर्माण में एवं अन्य कामों के आबंटन में अनियमितताओं को सही ठहराया है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस पूरे मामले के जांचोपरान्त तत्कालीन विभागीय सचिव की पूर्ण रूपेण संलिप्तता पाई गयी थी;

(4) क्या यह बात सही है कि ऐसे उच्चस्थ पदाधिकारी को बचाने के लिए विभाग ने अग्रेत्तर कार्रवाई निगरानी जाँच न कर जानबूझ कर संचिका बंद कर दिया गया है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त संचिका को पुनर्जीवित करते हुए आगे की कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

--

<u>प्रभारी मंत्री</u>

(1) वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक मामले की जाँच तकनीकी परीक्षक कोषांग, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के द्वारा की गई । एवं जाँचोपरान्त मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-नि०वि०-01/2009 (पर्यटन)-1022 दिनांक 11 जून, 2014 के द्वारा संबंधित मामले को संचिकास्त करने के निर्णय का संसूचन निर्गत है ।

(5) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संबंधित मामले को संचिकास्त करने के निर्णय का संसूचन निर्गत है ।

----

(195)

578
11/03/2016

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–44		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम एवं नियमावली– 2004 के प्रावधानों के अनुरूप अहर्ता पूरा करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान की राशि दो गुना दिये जाने का निर्णय लिया गया, तदसंबंधी आदेश दिनांक 07.05.2015 को निर्गत किया गया है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) (संशोधित) नियमावली, 2015 दिनांक 11.05.2015 को निर्गत किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुदान की राशि को दुगना किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुदानित श्रेणी के 27 संस्कृत विद्यालय एवं 37 मदरसों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में खण्ड–1 में वर्णित निर्णय के आलोक अनुदान राशि को दो गुना नहीं दिया गया है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। संकल्प संख्या 1953 दिनांक 18.10.2014 के प्रावधान के आलोक में नव प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को प्रथम बार अनुदान की राशि दी गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष– 2015–16 से अनुदानित श्रेणी के 27 संस्कृत विद्यालय एवं 37 मदरसों को अनुदान की राशि को दो गुना कर देने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–2 में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर) 11/03/16
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)–75 / 2016 578 / दिनांक 11/03/2016 /
प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/03/16
सरकार के संयुक्त सचिव।